सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 04, शुक्रवार, *शाके* 1947- सितम्बर 26, 2025
Asvina 04, Friday, Saka 1947- September 26, 2025

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 24, 2025

No. F. 2(24)Vidhi/2/2025.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 23rd day of September, 2025 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 2025

(Act No. 18 of 2025)

(Received the assent of the Governor on the 23rd day of September, 2025)

An

Act

further to amend the Rajasthan Fisheries Act, 1953.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Fisheries (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. XVI of 1953.- In section 8 of the Rajasthan Fisheries Act, 1953 (Act No. XVI of 1953), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the existing expression "five hundred rupees", the expression "twenty five thousand rupees" shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2), for the existing expression "one thousand rupees", the expression "fifty thousand rupees" shall be substituted.

3. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. XVI of 1953.- In sub-section (1) of section 11 of the principal Act, for the existing expression "one hundred rupees", the expression "twenty five thousand rupees" shall be substituted.

ब्रजेन्द्र जैन,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 24, 2025

संख्या प.2(24)विधि/2/2025.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान फिसरीज् (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2025 (एक्ट नं. 18 ऑफ 2025)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 18)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को प्राप्त हुई)

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 8 का संशोधन.- राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 16), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 में,-

(i) उप-धारा (1), में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

ब्रजेन्द्र जैन,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।